

सी.एस.आई.आर.—हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान CSIR-INSTITUTE OF HIMALAYAN BIORESOURCE TECHNOLOGY पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) / PALAMPUR (H.P.)-176 061



सं. 2-3/61/04-सा.

दिनांकः 12.12.2023

कार्यालय ज्ञापन

निदेशक, सी.एस.आई.आर.—हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर ने संस्थान की स्थानीय शिकायत समिति (Local Grievance Committee) का निम्न अनुसार पुनर्गठन किया है:

क्र. सं.	पदनाम	सदस्य का नाम
1	एक वरिष्ठ वैज्ञानिक जो स्थानीय शिकायत समिति का अध्यक्ष / सदस्य नहीं है / A senior scientist who is not the Chairman/member of LGC	डॉ. 'संजय कुमार उनियाल मुख्य वैज्ञानिक
2	प्रशासन नियंत्रक / प्रशासनिक अधिकारी / CoA/AO	श्री वीरेन्द्र लांबा प्रशासनिक अधिकारी
3	संपर्क अधिकारी (अन्य पिछड़ वर्ग) / Liaison Officer OBC.	डॉ. अशोक कुमार प्रधान वैज्ञानिक
4	संपर्क अधिकारी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)/Liaison Officer SC/ST.	डॉ. शशी भूषण वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक
5	महिला / अल्पसंख्यक प्रतिनिधि / Lady/Minority Representative	डॉ. पमीता भण्डारी प्रधान वैज्ञानिक

स्थानीय शिकायत समिति (Local Grievance Committee)

क्र. सं.	पदनाम	हैसियत (Capacity)	अध्यक्ष का नाम
1	समूह IV(5) या उससे ऊपर का वैज्ञानिक / A scientist of Group IV(5) or above.	अध्यक्ष	डॉ. सनतसुजात सिंह वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक

नामांकन द्वारा सदस्य/Members by Nomination

क्र. सं.	पदनाम	हैसियत (Capacity)	सदस्य का नाम
2	समूह IV का एक वैज्ञानिक / One scientist of Group IV.	सदस्य	डॉ. राजेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैज्ञानिक
3	वैज्ञानिक सी या उससे ऊपर के ग्रेड में समूह III का एक अधिकारी / One Officer from Group III in the Grade of Sci. C or above.		श्री शिव कुमार वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (2)
4	समूह II/I या समकक्ष से एक प्रतिनिधि / One representative from Group II/I or equivalent.	सदस्य	श्री अजय कुमार वरिष्ठ तकनीशियन (1)

उपरोक्त के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि निदेशक, सी.एस.आई.आर.—हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर ने ग्रुप IV,III,II,I/एम.टी.एस. में से एक—एक प्रतिनिधि के चुनाव हेतु रिर्टिनिंग अधिकारी डॉ. प्रलय दास, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक को नामित किया है।

Scope of The Grievance Committee:

- The Grievance Committees shall consider only individual grievances of specific nature of an employee and raised individually by the concerned aggrieved employee.
- 2. The Grievance Committees shall not consider:
- Any grievance of general applicability or of collective nature or raised collectively, by more than one employee.
- b. Any grievance arising out of disciplinary action having been taken against employees under Disciplinary Rules.
- c. Any grievance involving decision of DPC, Selection Committees and Assessment Committees. However, if there are any ex-facie procedural lapses in constitution of committees, or following of prescribed procedure, e.g. absence of SC/ST representatives where mandatory, lack of quorum, etc. 28 these could be looked into by the Grievance Committees. A Local Grievance Committee will consider only cases of ex-facie violation of rules/procedures. Other cases of specified lapses would be considered by the CGC.
- d. Time barred cases or cases referred to CAT Courts. A case will be treated as timebarred if no representation is made within 45 days of the decision/order. However, the CGC may entertain any case which is time barred, on merit.
- e. Any grievance against a decision for which there are statutory rules of appeal, etc.

It has been brought to the notice of all staff memebrs that henceforth all grievances of the staff members shall be dealt strictly as per the Grievance Redressal Procedures as mentioned above.

उक्त समिति का कार्यकाल इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

> रंजीत कुमार गुप्ता) अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपिः

- 1. सभी समिति सदस्य
- 2. डॉ. प्रलय दास, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक एवं **रिटर्निंग अधिकारी**—इस अनुरोध के साथ कि ग्रुप IV,III,II,I / एम.टी.एस. में से एक—एक प्रतिनिधि के चुनाव हेतु प्रक्रिया सुनिश्चित करें।
- 3. सभी प्रभागाध्यक्ष / अनुभागाध्यक्ष
- 4. निदेशक सचिवालय-निदेशक महोदय की सूचना हेतु
- 5. प्रमुख, पी.पी.एम.ई.—इस अनुरोध के साथ की उक्त कार्यालय ज्ञापन को संस्थान की इंटरा वैबसाइट पर प्रदर्शित करने का श्रम करें।